रेणू बनाम रामस्वरूप व अन्य
प्रकरण संख्या 2023/071

02.06.2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण विष्णु कुमार पुत्र श्री रामकुमार, रामकुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल, रामसिंह पुत्र श्री चुन्नीलाल, विनोद कुमार पुत्र श्री रामकुमार, लिछमा देवी पत्नी श्री रामकुमार निवासीगण चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 28.05.2025 पर बहस प्रस्तुत की गई। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार उक्त विविध प्रार्थना पत्र वादिया/प्रार्थिया द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण प्रस्तुत करते हुए चक 4 जी बड़ी में खाता संख्या 61/50 में 1.540 हैक्टे0 व खाता संख्या 20/16 में 1.126 हैक्टे0 व खाता संख्या 60/48 में 0.696 हैक्टे0 व खाता संख्या 26/31 में 0.537 हैक्टे0 व खाता संख्या 14/10 में 0.430 हैक्टे0 व खाता संख्या 64/53 में 2.403 हैक्टे0 कुल तादादी हैक्टेयर नहरी मय खाला में वादिया का 1/4 हिस्सा घोषित करने एवं विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की चाही गई कि उक्त खातों की कुल 6.732 हैक्टे0 नहरी मय खाला को या इसमें किसी भू भाग का रहन–भार या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे, बाबत अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण चक 4 जी बड़ी के उपरोक्त वर्णित खाता संख्या 61/50 एवं खाता संख्या 20/16 व खाता संख्या 26/31 व इसी चक के खाता संख्या 14/10 व खाता संख्या 64/53 की कृषि भूमि मन प्रार्थीयान के नाम से मुस्तरका खाता में दर्ज है परन्तु वादिया/प्रार्थिया द्वारा जानबूझकर मन प्रार्थीयान सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना दुर्भिसंधि से उक्त वाद पत्र मय स्थगन प्रार्थना–पत्र दायर किया गया है जबकि उक्त वाद में मन प्रार्थीयान आवश्यक एवं प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार होने के कारण प्रतिवादी/अप्रार्थी के तौर पर पक्षकार बनाये जाने के अधिकारी हैं। इस स्थिति में मन प्रार्थीयान सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीयान सहखातेदारों को प्रतिवादी/अप्रार्थीगण के तौर पर पक्षकार बनाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी ऐतराज करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 चक 4 जी बड़ी, पटवार हल्का कालियां, भू0 अ0 नि0 क्षेत्र कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 61/50, 20/1, 60/48, 26/31, 14/10, 64/53 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विष्णु कुमार पुत्र श्री रामकुमार, रामकुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल, रामसिंह पुत्र श्री चुन्नीलाल, विनोद कुमार पुत्र श्री रामकुमार, लिछमा देवी पत्नी श्री रामकुमार अभिलिखित खातेदार है एवं अभिलिखित खातेदार होने के कारण हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रकरण में प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर विष्णु कुमार पुत्र श्री रामकुमार, रामकुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल, रामसिंह पुत्र श्री चुन्नीलाल, विनोद कुमार पुत्र श्री रामकुमार, लिछमा देवी पत्नी श्री रामकुमार निवासीगण चक 4 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को अप्रार्थीगण संख्या 04 ता 08 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक एवं तलबी हेतु दिनांक 23.06.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर